20 किलो गांजे के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

कर्बला-बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा

संवाद न्यूज एजेंसी

बलरामपुर। कोतवाली नगर पुलिस ने सोमवार रात मुरलीपुर कर्बला-बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की नई स्कॉर्पियो से 20.594 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में वाहन चालक हिस्ट्रीशीटर तनवीर अहमद उर्फ शारिफ को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2,250 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है।

एसपी विकास कुमार ने बताया कि उपनिरीक्षक रमन कुमार वर्मा पुलिस टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुरलीपुर कर्बला से मेवालाल चौकी की ओर जाने वाले बाईपास मार्ग पर काले रंग की बिना नंबर की नई स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली। इसमें प्लास्टिक की एक बोरी मिली। चालक बोरी में रखे सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

2,250 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन भी बरामद

नगर कोतवाली में गांजा के साथ मौजूद पकड़ा गया आरोपी । स्रोत : विभाग

तलाशी की हुई वीडियोग्राफी

संदेह होने पर पुलिस टीम ने इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर संतोष कुमार मिश्र को दी। प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह को भी जानकारी दी। इसके बाद वीडियोग्राफी के बीच बोरी की तलाशी ली गई। उसमें गांजा जैसा पदार्थ मिला। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलने पर बोरी समेत इसका कुल वजन 20 किलो 594 ग्राम पाया गया। पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो की दोबारा तलाशी लेने पर 2,250 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन भी बरामद हुए। वाहन पर कोई पंजीयन नंबर अंकित नहीं था।

■ **दूसरे जिले में बेचने जा रहा था गांजा :** पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अलग-अलग स्थानों से गांजा मंगाता है। पर्याप्त मात्रा में गांजा एकत्र करने के बाद उसे बेचने के लिए बढ़नी होते हुए दूसरे जिले की ओर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी तनवीर अहमद उर्फ शारिफ कोतवाली नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कोतवाली नगर और कोतवाली देहात थानों में हत्या के प्रयास, चोरी, बरामदगी, आयुध अधिनियम, मारपीट और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2018 में हत्या के प्रयास की धारा 307, वर्ष 2021 में आयुध अधिनियम तथा वर्ष 2025 और 2026 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।